चिरियाबेड़ा के आदिवासी फिर से बने सुरक्षा बलों के हिंसा का शिकार – महिला के साथ शारीरिक हिंसा के उद्देश्य से छेड़छाड़ भी

झारखंड जनाधिकार महासभा की तथ्यान्वेषण रिपोर्ट

12 नवम्बर 2022 के दैनिक अख़बारों (प्रभात खबर, दैनिक भास्कर आदि) में खबर छपी कि सुरक्षा बलों द्वारा 11 नवम्बर 2022 को चिरियाबेड़ा, लोवाबेड़ा व हाथीबुरु में अभियान चलाया गया जिसमें जंगलों में लगे सीरीज में बम पाए गयें व डिफ्यूज किए गए एवं भाकपा (माओवादी) का पोस्टर, बैनर समेत कई दैनिक इस्तेमाल का समान पाया गया. मीडिया रिपोर्ट अनुसार यह कोबरा-209/205, झारखंड जैगुआर, सीआरपीएफ की बटालियन व स्थानीय पुलिस का संयुक्त अभियान था.

अभियान के कुछ दिनों बाद क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह सूचना मिली कि अभियान के दौरान चिरियाबेड़ा के ग्रामीणों पर सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा की गयी है. इस सूचना के बाद झारखंड जनाधिकार महासभा का एक तथ्यान्वेषण दल ने चिरियाबेड़ा गाँव जाकर ग्रामीणों से मिलकर 11 नवम्बर को हुई हिंसा की जानकारी लिया. जून 2020 को इसी गाँव में अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने कई निर्दोष आदिवासियों को घंटो तक बुरी तरह पीटा था. वर्तमान रिपोर्ट पीड़ितों व ग्रामीणों के साथ चर्चा व पूर्व की घटना के रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है. दल में कमल पूर्ति, नारायण कांडेयांग, रमेश जेराई व सिराज दत्ता शामिल थे.

जांच में पाए गए तथ्य

गाँव का विवरण

चिरियाबेड़ा अंजेडबेड़ा राजस्व गांव का एक वन-आधारित टोला (वनग्राम) है। अंजेडबेड़ा सदर प्रखंड के पंडाबीर ग्राम पंचायत में है और जिला मुख्यालय से लगभग 21 किमी दूर है। चिरियाबेड़ा अंजेडबेड़ा से छह किमी दूर है और भौगोलिक रूप से गोइलकेरा प्रखंड में पड़ता है। यह चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चिरियाबेड़ा में लगभग 25-30 घर हैं और अधिकांश आदिवासी 'हो' समुदाय के हैं। लोग 'हो' भाषा बोलते हैं। गाँव के लोग मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि और वन-आधारित उत्पादन (जैसे सूखी लकड़ी, दातुन, पत्ती आदि) पर निर्भर हैं। सभी घरों में पशुधन भी है, मुख्यतः बकरी।

चिरियाबेड़ा में कोई आंगनवाड़ी नहीं है। निकटतम प्राथमिक विद्यालय गाँव से 6 किमी दूर अंजेडबेड़ा में है। जिस कारण से बच्चे आंगनवाड़ी सेवाओं से वंचित हैं. चिरियाबेड़ा के अधिकांश बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं क्योंकि यह बहुत दूर है और घने जंगलों (सार्वजनिक परिवहन सुविधा भी नहीं है) द्वारा घिरा हुआ है। इस गाँव में कोई नलकूप या कुआँ भी नहीं है। पीने के पानी के लिए लोग हर साल चुआँ (पीने के पानी के गड्ढे) का निर्माण करते हैं। कुछ परिवारों का राशन कार्ड नहीं हैं। कई वृद्ध व विधवा महिलाएं पेंशन से वंचित हैं. अंजेड़बेड़ा के आठ अत्यंत वंचित परिवार लगभग एक साल से राशन से वंचित हैं. शिकायत के बावज़ूद कार्यवाई नहीं हुई है. स्थानीय रोज़गार के अभाव में बड़े पैमाने पर गाँव के युवा पलायन करते हैं.

हिंसा का विवरण

11 नवम्बर 2022 को दिन में सुरक्षा बल सैंकड़ों की संख्या में चिरियाबेड़ा गाँव पहुंचे. वे तलाशी के नाम पर घर-घर घुस के कई घरों के अन्दर रखे सामान (धान, कपड़े, बर्तन आदि) एवं खलियान में रखे धान को तहस-नहस कर दिए. वे लोगों से हिंदी में पूछते रहे कि "काला बैल", "पार्टी वाला", "माओवादी" कहाँ हैं और लोगों को हिंदी में जवाब देने बोल रहे थे. ग्रामीण लगातार हो में बोल रहे थे कि उन्हें हिंदी अच्छे से नहीं आती है. इस दौरान सुरक्षा बलों ने कई महिलाओं के साथ मारपीट की एवं एक नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी की. गाँव में वर्तमान में दहशत और बेबसी का माहौल है.

वृद्धा विधवा नोनी कुई जोजो अपने आंगन में बैठी हुई थी जब उनकी नाबालिक बेटी शान्ति जोजो दौड़ती हुई आई और बोली कि बहुत सारे सुरक्षा बल के जवान उनके घर की ओर आ रहे हैं. वो दौड़ के घर के अन्दर चली गयी.

तब तक 20-30 सुरक्षा बल जवान उनके घर पहुंच गए. दो जवान घर के दरवाज़े पर खड़े हो गए और शान्ति को निकलने नहीं दिए. घर के अन्दर रखे धान को उलट-पुलट कर दिया. जवानों ने नोनी से उसके पति के विषय में पुछा तो नोनी ने कहा कि वे विधवा हैं एवं वे और उनकी बेटी बकरी पाल के जीविकोपार्जन करते हैं. लेकिन वे हो भाषा समझ नहीं पा रहे थे.

अन्दर दो जवानों ने शान्ति के दोनों हाथ को पकड़ा और एक जवान (गोरा वाला) उसके स्तन को दबाने लगा. वह किसी तरह अपने को छुड़ाके भाग के कमरे से निकली और रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई. जवान पीछे से पकड़ने गया तो उसके हाथ में शान्ति का गमछा (दुपट्टा) आ गया. जवान शांति को खींच के झाड़ी के तरफ खींच रहे थे. जब उसकी माँ ने उसे नहीं छोड़ा तो एक मोटे डंडे से नोनी कुई के कमर में दो बार मारा जिससे डंडा टूट गया. इसके बाद और दुसरे डंडे से कई बार पीटा. जब महिला ने शान्ति को नहीं छोड़ा, तब सुरक्षा बल के जवान कुछ बोलते हुए आगे बढ़ गए. इसके बाद नोनी अपनी बेटी को लेकर बाहर बैठ गयी जहाँ अन्य महिलाओं को बैठाया जा रहा था. शांति जोजो ने तथ्यान्वेषण दल को स्पष्ट बोला कि जवानों द्वारा किए गए छेड़खानी से उसको ऐसा लगा कि उसका बलात्कार करने वाले थे.

अन्य कई लोगों के साथ हिंसा की गयी. 16 वर्षीय बामिया बहंदा आमड़ा के पेड़ पर चढ़ का फल तोड़ रहा था जब सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया और नीचे उतरने बोला. फिर हिंदी में पूछ-ताछ करने लगे. उसे घर ले जाकर उसके घर के आंगन में रखे धान को तितर बितर कर दिया. इस दौरान बामिया को गर्दन को एंटने लगा, कान को बुरी तरह मरोड़ा, गला घोंट कर गले के बल उठाया गया और पीटा भी गया. दायां कान अभी भी दर्द दे रहा है. जब उसे बचाने उसकी मां कदमा गयी तो इसे भी पीटा गया. उनके दोनों हाथो को जवानों ने पकड़ लिया और फिर आगे-पीछे व कमर में लात व बंदूक के बट से मार के उन्हें उनके घर तक ले गए. अभी भी छाती मे दर्द है. फिर उनके खुले बाल को पकड़ के उनको इधर-उधर गोल-गोल खींच तान कर घुमाया गया. इसके बाद घर में रखे बक्से से सारे कपड़ो को तितर-बितर कर दिया गया.

ननिका तामसोय जवानों को देखने के बाद अपने बेटे को खोजने निकली कि कहीं भी पाएगा तो ये लोग मारपीट करेगा बोलके. इसी दौरान सुरक्षा बल ने उनके घर के ताला को तोड़के घर में रखे सारे धान व अनाज को तहस नहस कर दिया व घर में रखे सामान को इधर-उधर फेंक दिया.

कुछ पीड़ितों के बयान निम्न हैं:

नोनी कुई जोजो पति स्व लोदो जोजो - मैं घर के आंगन में धान सूखाने के लिए रख दी थी और थक के आंगन में ही आराम करने लिए बैठ गई थी। उसी समय मेरी बेटी तेल लगा कर कंघी करके घर से निचे तरफ उतर रही थी कि वापस दौड़ते हुए बोली सीआरपीएफ सब आ रहा है. यह बोलते हुए वह घर के अंदर घुस गई । मैंने बोला कि बाहर में ही रहेंगे यहां बैठेंगे। तभी वो लोग पहुंच गया और घर दरवाजा में खड़े हो गए निकलने भी नही दे रहे थे। वे घुसकर धान सब जो रखा हुआ था सब उल्ट पल्ट कर दिया । उसके बाद हम से आधार कार्ड फोटो दिखाओ बोला और तेरा पति कहां है बोला तो मैंने बोला मेरा पति नहीं है मर गया। हम दोनों बेटी के साथ बकरी पालन करके ही जीविकोपार्जन करते हैं बोले पर शायद मेरी भाषा नहीं समझ रहे थे। मैं आंगन में ही बैठी थी और नहीं उठ रही थी और बेटी को तो वो लोग घर अंदर में ही छेक रखा था। मैं बार-बार बाहर आने के लिए बोल रही थी पर निकलने नहीं दिया जा रहा था । दो बार इसका फोटो लिया गया और वो लोग घेर कर रखा था । तभी वह रोते हुए दौड़ते हुए बाहर आई और मैं उसको लिपटकर पकड़ लिया। सब कोई मेरी बेटी पर ही नजर लगाया था। उसी समय एक जवान बंदूक में गोली लोड करके हम दोनों के तरफ तान दिया था । उसके बाद एक लकड़ी मोटा वाला लाया और कमर में मारा. डंडा टूट गया फिर भी मैं बेटी को नहीं छोड़ी। इसके बाद एक दुसरे डंडे से फिर कई बार पीटा हमको. उसके बाद झाड़ी तरफ ले जा रहा था और चल-चल बोलरहा था. तब मैं बोली कि बूढ़ी हूँ, चल नहीं सकती. फिर वो लोग हमलोगों को वहीँ छोड़ के निकल गया और हमलोग दुला के घर तरफ आ गए।

शांति जोजो (उम्र15-16 वर्ष) पिता स्व लोदो जोजो - मैं फूफू घर तरफ जा रही थी तभी जवनों ने दौड़कर आ रहे थे। मैं अपने घर घुस गयी थी तभी दो जवान आए और दोनों घुस गए. यह देखते ही मैं बाहर निकलना चाही तो दोनों दरवाजा पर खड़े हो गए. एक काला वाला जवान थैला सब दिखाने बोला तो मैंने दिखा दिया। तभी दुसरा

गोरा वाला आया और वो दोनों बात किया और एक डंडा पकड़कर घर अंदर मुझे ले गया और दोनों हाथ को दोनों पकड़कर गोरा वाला जवान मेरा स्तन दबा रहा था। मैंने जोर लगा के हाथ छुड़ा के बहार भाग रही थी तो गमछा में पकड़ लिया और झाड़ी तरफ लेकर जा रहे थे गमछा भी छोड़कर छूड़ा ली तभी मेरी मां हमको लिपटकर पकड़ ली थी । मेरी मां हमको जब लिपटकर पकड़ रखी थी तभी वो लोग मां को मार रहे थे। एक लकड़ी टूट गया तो फिर दूसरा लेकर आया और मारा। मैं मां के पास वहीं बैठ गई। उसके बाद काला वाला हमको हिंदी में पूछ रहा था क्या नाम है पर मैं ठीक से समझ नहीं रही थी इसलिए कुछ नहीं बोली। मेरी मां हमको बाद में पकड़कर फूफू घर तरफ लेकर आई। उस समय मेरा घर आंगन अगल-बगल सब तरफ सीआरपीएफ लोग घेर कर रखा था।

बामिया बहंदा पिता सुरजा बहंदा (16-17 वर्ष उम्र) - मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ अमड़ा तोड़ रहा था, तभी सीआरपीएफ सब आया और हमको जल्द उतरने बोला। उतरने के बाद हमको पकड़कर इमली पेड़ के निचे लाया और बैठने बोला और नाम पूछ रहा था । मैं हिन्दी नहीं समझता हूं पढ़ा लिखा नहीं हूं आपलोग क्या बोल रहे हैं बोला। तभी मेरी बड़ी मां आयी और मैंने पूछा ये लोग हमको क्यों पकड़ा? तो बोली पता नहीं। तभी मेरा मां, भाभी और बड़ी मां आकर हमको पकड़कर (घर तरफ)ले जा रही थी। मेरी मां वो लोगों से पूछी कि क्यों मेरा बेटा को पकड़ा? उसके बाद हमको घर लेकर आए और घर में बंद कर दी। फिर सीआरपीएफ सब आया और मां, भाभी सब को लेकर गया। कुछ देर बाद फिर वो लोग आया और दरवाजा पीट रहा था और हम डर से खोल नहीं रहे थे। कुछ देर बाद मैंने खोला तो वो लोग हमको पूछा क्यों इतने देर तक खोल नहीं रहे थे और आधार कार्ड है कि नहीं? मैंने बोला आधार कार्ड यहां नहीं है गांव बड़ा बस्ती में है । तभी हमको पकड़ा और घर अंदर ही बांध दिया और घर के आंगन में जो धान का मुट्टा रखा था सब इधर-उधर फेंक दिया। फिर हमको खोला और बाकी धान सब को इधर-उधर करने को बोला । बाकी धान घर में रखा हुआ को टांड और निचला को एक साथ मिला दिया। उसके बाद फिर बांध दिया और घर में तलाशी कर रहा था. बक्सा में पड़े सारे कपड़ों को तितर-बितर कर दिया. फिर मेरे दिवंगत बड़े भैया का आधार कार्ड और मेरी मां का फोटो कॉपी सब दिखा कर ये सब क्या है बोल कर धमका रहा था और धड़ पकड़कर उठा लिया. फिर कान को जोर से मरोड़ा और बोल रहा था आधार कार्ड नहीं है बोलते हो । उसके बाद घर से निकाला और बहुत देर तक गला दबा के रखा था तभी कुछ जवान छोड़ दो छोड़ दो बोला तो छोड़ दिया और थप्पड़ मारा और कान बहुत जोर से मरोड़ रहा था। अभी दायां कान छूने से ही दर्द देता है। उसके बाद में ले जा रहा था और रास्ते में पैर से लात मारते जा रहा था । घर में हमरा पारंपरिक तीर-धनुष था. 6 तीर था जो वो लोग ले गया. 2020 में भी मेरे साथ ऐसा किया था.

कदमा बहंदा पति स्व सूरजा बहंदा (उम्र – 55 वर्ष) - मैं अपने बेटे (बामिया) को बचाने गई थी । जब हम बेटे को पकड़कर रखे थे तब सीआरपीएफ लोग हमको इधर-उधर से दोनों हाथ पकड़कर जोर-जोर से खिंच तान कर रहा था इधर-उधर और पिछे से पीठ, कमर में बंदूक के बट से मार रहा था और पैर से लात मार रहा था। अभी भी छाती मे दर्द दे रही है। हमको घर जगह ले जाने के बाद वो लोग मेरा सर का बाल पकड़कर बहुत जोर-जोर से इधर-उधर घुमाया और घर अंदर ले जा कर लात मारा, गर्दन मरोड़ा, फिर घर अंदर घुसा दिया और बाहर से कुंडी लगाकर चला गया । मैं घर के पिछे से निकलकर फिर बेटे को बचाने चली गयी। रोते हुए बेटे को खोज रही थी तभी फिर पकड़कर जमीन में पटक दिया और लात मारा ।

ननिका तामसोय पति स्वः डोमके: तामसोय - मैं घर पर ही थी कि इधर-उधर से लोगों के चलने की आवाज सुनाई दी , तभी देखी कि सुरक्षा बल सब आ रहा था । मेरे घर तक आते ही वो लोग कुछ पूछा. मैंने बोला कि हिन्दी नहीं जानते हैं, फिर वो लोग निकल गए। तब अपने घर को ताला लगा कर अपने बेटा को लाने निकली. वो स्कूल में पढ़ाई करता है. तब शायद दूसरा दल सीआरपीएफ खलियान में रखे सारे धान व अनाज को तहस नहस कर इधर उधर फेंक दिए. मैं जैसे ही वापस आई तो अपनी पड़ोसियों को रोते हुए देखि. पड़ोसी ने कहा कि मेरे पूरे घर के समान को सीआरपीएफ बिखेर दिए हैं. मैं फिर अपने बेटे को वापस भेज देती हूँ यह सोचके कि कहीं उसको भी मारेगा. फिर मैं अपना घर को देखती हूँ तो घर का ताला टुटा हुआ था और दरवाजे पर उल्टा लटका था. घर अंदर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और बेटा का स्कूल बैग, जो स्कूल में मिला था, भी फेंका हुआ था. घर में रखे 5-6 तीर सीआरपीएफ अपने साथ ले गए।

शुरू गोप पति बिरसा गोप - मैं सीआरपीएफ सब को देखकर के घर के दरवाजा को कुल्हाड़ी से कुन्डी लगा दी. तभी सीआरपीएफ सब लात मार के खोल दिया और अंदर घुस गया और मेरा एक जवान के साथ कुल्हाड़ी छिना जपट्टी हो गया फिर वो अंदर घुस कर पुरा खोजबीन किया और सारा सामान सब छितरा दिया धान, कपड़ा आदि। आंगन में रखा धान मुट्ठा सब इधर-उधर फेंक दिया। वो लोग घर में जूता पहन के घुस गया. घर का पूजा स्थल में भी. मैंने उसको मना किया कि जूता सब पहने हैं घर में मत घुसना हमलोग पूजा-पाठ करने वाले है, जूता सब खोल लीजिए उसके बाद घुसना। तभी एक जवान बंदूक तान दिया. हम लोगों का आधार कार्ड सब ले जा रहा था तभी मेरी बहु आधार सब छीन कर वापस लाई । उसके बाद एक बत्तख का अंडा ले गया ।

शुरू तमसोय उम्र लगभग 35 वर्ष पति पचाय तामसोय – मैं गर्भवती हूँ. मैं घर जगह मे ही थी सीआरपीएफ के जवान आए और सीधा घर के अंदर जूता पहन कर ही घुसने लगा मैने नहीं घुसने के लिए बोले तो बंदूक पकड़ कर मेरे छाती में सटा दिया तो मैं छुप हो गई और घर में रखे पूरा धान को तितर-बितर कर दिया।

निष्कर्ष

पीड़ितों और ग्रामीणों के बयानों से स्पष्ट है कि सुरक्षा बलों द्वारा फिर से चिड़ियाबेड़ा में सर्च अभियान के नाम पर आदिवासियों पर हिंसा की गयी और परेशान किया गया. कई लोगों की पिटाई की गयी, एक नाबालिक के साथ बलात्कार के उद्देश्य से छेड़छाड़ किया गया और घरों में रखे समान को तहस-नहस किया गया. मीडिया रिपोर्ट (जो कि सुरक्षा बलों के प्रेस विज्ञप्ति पर ही आधारित हैं) में अभियान में जंगल से पाए गए माओवादियों के सामग्रियों की विस्तृत जानकारी है लेकिन निर्दोष लोगों पर की गई हिंसा का ज़िक्र तक नहीं है.

यह भी गौर करने की बात है कि 15 जून 2020 को सुरक्षा बल जवानों ने नक्सल सर्च अभियान के दौरान चिरियाबेड़ा ग्राम के आदिवासियों को डंडों, बैटन, राइफल के बट और बूटों से बेरहमी से पीटा था. 11 ग्रामीणों को बुरी तरह से पीटा गया था, जिनमें से तीन को गंभीर चोटें आई थी. महासभा द्वारा मामले को उठाने के बाद आपने ट्विटर पर पुलिस को कार्यवाई करने का आदेश दिया था. लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में CRPF की हिंसा में भूमिका का ज़िक्र तक नहीं है. पीड़ितों ने कई बार विभिन्न स्तरों पर लिखित आवेदन दिया है लेकिन आज तक, न दोषी सुरक्षा बलों के विरुद्ध कार्यवाई हुई और न पीड़ितों को मुआवज़ा मिला. न्यायालय में भी पीड़ितों का बयान दर्ज करवाने में जांच पदाधिकारी का रवैया नकारात्मक और उदासीन है.

सुरक्षा बलों द्वारा फिर से इसी गाँव में लोगों पर हिंसा करना दर्शाता है कि राज्य व केंद्र सरकारों की ओर से आदिवासियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण व सुरक्षा बलों को संविधान व कानून के प्रति जवाबदेह बनाने के बजाय अधिकारों के हनन और कानून के उल्लंघन की छुट दी हुई है. सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों का आदिवासी-वंचितों के प्रति अमानवीय रवैया भी स्पष्ट है.

इस क्षेत्र में हो सकता है माओवादियों का आना-जाना हो एवं उन्हें शायद कभी ग्रामीण खाना भी खिलाते होंगे. लेकिन ग्रामीणों की विशेष परिस्थिति व समस्यों को समझने के बजाय उन पर व्यापक हिंसा की जाती है और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है. यह भी देखने को मिल रहा है कि सारंडा क्षेत्र में ग्रामीणों के विरोध के बावज़ूद एवं बिना ग्राम सभा की सहमति के सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं. यह पांचवी अनुसूची व पेसा कानून का स्पष्ट उल्लंघन है. यह भी देखा जा रहा है कि क्षेत्र के निर्दोष आदिवासी-मूलवासी-वंचितों को माओवादी घटनाओं में फ़र्ज़ी रूप से आरोपी बनाया जा रहा है.

मांगे

झारखंड जनाधिकार महासभा निम्न मांगे करती है:

- 11 नवम्बर 2022 को चिरियाबेड़ा में लोगों पर हिंसा एवं नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने के दोषी सुरक्षा बल जवानों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हो और न्यायसंगत कार्यवाई हो. इस प्रताड़ना के लिए पीड़ितों को मुआवज़ा दिया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई को उजागर

करने के लिए पीड़ितों को किसी भी प्रकार से प्रशासन, पुलिस व सुरक्षा बालों द्वारा परेशान नहीं किया जाए.

- 15 जून 2020 को इस गाँव के लोगों पर हुए हिंसा के लिए दोषी सुरक्षा बल के विरुद्ध न्यायसंगत कार्यवाई की जाए व पीड़ितों को मुआवज़ा दिया जाए.
- केवल संदेह के आधार पर अथवा केवल माओवादियों को महज़ खाना खिलाने के लिए निर्दोष आदिवासी-वंचितों को माओवादी घटनाओं के मामलों में न जोड़ा जाए.
- नक्सल सर्च अभियानों की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को परेशान न किया जाए और आदिवासियों पर हिंसा न किया जाए. लोगों पर फ़र्ज़ी आरोपों पर मामला दर्ज करना पुर्णतः बंद हो. स्थानीय पुलिस को स्पष्ट निदेश हो कि पीड़ितों द्वारा दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
- पांचवी अनुसूची क्षेत्र में किसी भी गाँव के सीमाना में सर्च अभियान चलाने से पहले ग्राम सभा व पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सहमती ली जाए. स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को आदिवासी भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति और उनके जीवन-मूल्यों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए और संवेदनशील बनाया जाए.
- बिना ग्रामीणों के साथ चर्चा किए व ग्राम सभा की सहमति के कैंप ज़बरदस्ती स्थापित न की जाए.

अधिक जानकारी के लिए कमल पूर्ति (9801979253), नारायण कांडेयांग (8102755008), रमेश जेराई (9162168149) या सिराज दत्ता (9939819763) से सम्पर्क करें अथवा jharkhand.janadhikar.mahasabha@gmail.com पर संपर्क करें.